

विषय :- आदिम जनजाति सदस्य को भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने बावत्।

पक्षकार -

1. श्री शिवकुमार गौड़ पिता सुखदेव गौड़ निवासी ग्राम मरहापाठा थाना बरगी जिला जबलपुर
2. श्री सुनील कुमार गौड़ पिता दौलत सिंह गौड़ निवासी 1105 लोधी मोहल्ला गोरखपुर जिला जबलपुर।

विरुद्ध -


- अनावेदक -
1. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, जबलपुर
  2. श्री अमन जैन पिता श्री राकेश कुमार जैन, निवासी 1989/8 रतन नगर मदनमहल तहसील व जिला जबलपुर।

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 44 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत

1- मान्नीय न्यायालय कलेक्टर (जबलपुर के प्रकरण क्र. 245/अ-21/2013-14 में पारित अंतिम आदेश दि. 20/04/2015 (Annexure-1) से व्यथित होकर म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के तहत यह अपील/निगरानी याचिका प्रस्तुत की जा रही है।

2- यह कि आवेदक पुनरीक्षणकर्ता आदिवासी (1) श्री शिवकुमार गौड़ पिता सुखदेव गौड़ निवासी ग्राम मरहापाठा थाना बरगी जिला जबलपुर (2) श्री सुनील कुमार गौड़ पिता दौलत सिंह गौड़ निवासी 1105 लोधी मोहल्ला गोरखपुर जिला जबलपुर द्वारा ग्राम खुरसी प.ह.नं. 69 रा.नि. मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 85, 87/1 रकबा क्रमशः 1.10, 1.42 हेक्टे. कुल रकबा 2.52 हे. भूमि अनावेदक/गैर आदिवासी श्री अमन जैन पिता श्री राकेश कुमार जैन, निवासी 1989/8 रतन नगर मदनमहल तहसील व जिला जबलपुर को विक्रय करने की अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र (Annexure-2) म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) के तहत कलेक्टर जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

//6//



सुनील गौड़

शिव कुमार

30 JUN 2015

Handwritten signature/initials.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील 2248/एक/2016

जिला-जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18.7.16	<p>यह अपील अपीलार्थी द्वारा कलेक्टर, जिला जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 245/अ-21/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 20.04.2015 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- प्रकरण का सारांश यह है कि अपीलार्थी कलेक्टर, जबलपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की गयी कि उसके स्वामित्व की भूमि ग्राम खुरसी प.ह.न.69 रा.नि.म. वरगी तहसील व जिला जबलपुर में स्थित भूमि खसरा नं. 85,87/1 रकवा क्रमशः 1.10, 1.42 है0 कुल रकवा 2.52 है0 भूमि अनावेदक क्रमांक 2 अमन जैन पुत्र राकेश कुमार जैन निवासी 1989/8 रतन नगर मदन महल तहसील व जिला जबलपुर को विक्रय करने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। इस संबंध में विक्रय अनुबंध पत्र किया गया है। इसलिये अपीलार्थी को भूमि विक्रय करने की अनुमति दी जाये। कलेक्टर जिला जबलपुर ने प्रकरण क्रमांक 245/अ-21/2013-14 पंजीबद्ध कर अपीलार्थी के आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों की जाँच अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व जबलपुर से करायी। जाँच प्रतिवेदन</p>	





प्राप्त होने पर कलेक्टर, जबलपुर ने आदेश दिनांक 20.04.2015 से प्रकरण अदम पैरवी में खारिज कर दिया जिससे अपीलार्थी का विक्रय अनुमति आवेदन पर कोई विचार नहीं किया। जिसके विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी हैं।

3- अपील मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा अपीलार्थी अभिभाषक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया।

4- अपीलार्थी अभिभाषक ने तर्कों में बताया कि अनुविभागीय अधिकारी के यहाँ से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर जबलपुर ने दिनांक 20.04.2015 को आवेदन पत्र पर सद्भाविक विचार नहीं किया। और प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त कर दिया। जिससे अपीलार्थी का आवेदन पत्र विक्रय अनुमति बावत् विचार होने से रह गया है। जबकि प्रकरण में समस्त प्राथमिक कार्यवाही सम्पादित की जा चुकी थी अतः विचाराधीन अपील प्रस्तुत कर विक्रय अनुमति दिये जाने का निवेदन किया गया। अनावेदक के अभिभाषक ने इसका विरोध करते हुये कलेक्टर के आदेश को यथावत रखने की प्रार्थना की।

5- उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्कानुक्रम में देखना है कि क्या कलेक्टर जबलपुर ने आदेश दिनांक 20.04.2015 के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की है। प्रकरण जब तहसील एवं अनुविभागीय अधिकारी के यहाँ जाँच हेतु गया एवं जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद वापिस आया। तब ऐसी स्थिति में विक्रय अनुमति दी जानी चाहिए थी, अतः कलेक्टर जबलपुर का आदेश

*R/A*

*M*

दिनांक 14.06.2016 निरस्त किये जाने योग्य है।

6- अपीलार्थी के अभिभाषक के तर्कानुसार अपीलार्थी को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रूपयों की आवश्यकता है, तथा साथ ही साथ यह बताया गया था कि उपरोक्त भूमि विक्रय करने के पश्चात् अपीलार्थी के पास इसी ग्राम में रकवा 5.66 है० भूमि शेष बचेगी जो उसके जीवन यापन हेतु पर्याप्त है। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जो भूमि विक्रय करने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। अतः प्रकरण में यह देखना है कि अपीलार्थी वादग्रस्त भूमि को विक्रय करने हेतु पात्र है अथवा नहीं।

7- अपीलार्थी अभिभाषक के तर्कों के अनुसार आवेदित भूमि स्वामी हक में दर्ज है एवं अपीलार्थी की भूमि पट्टे की भूमि नहीं है इसका अर्थ यह हुआ कि अपीलार्थी भूमि शासकीय पट्टे पर प्राप्त न होकर स्वयं द्वारा विक्रय पत्र के माध्यम से अर्जित भूमि है ऐसा भूमि स्वामी अपनी भूमि को विक्रय करने हेतु स्वतंत्र है क्योंकि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि का पट्टेधारी पट्टे की शर्तों का पालन करते हुये दस वर्ष व्यतीत होने पर भूमि स्वामी बन जाता है जो भूमि के सभी प्रकार के प्रयोजन के लिये स्वतंत्र है।

8- प्रकरण के आये तथ्यों से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि अपीलार्थी के स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि है, जो शासन से पट्टे पर प्राप्त न होकर स्व-अर्जित है। अपीलार्थी आदिम जनजाति का सदस्य है, जिसके कारण उसने भूमि विक्रय की अनुमति मांगी है संहिता की धारा 165 (7-ख) प्रतिबंधित करती है कि कोई भी शासकीय पट्टेदार अथवा भूमि स्वामी बिना सक्षम

R  
14



अनुमति के भूमि विक्रय नहीं करेगा और इसी प्रतिबंध के कारण अपीलार्थी ने कलेक्टर से आवश्यकता दर्शाते हुये भूमि विक्रय करने की अनुमति मांगी है आवेदक ने भूमि विक्रय करने का अनुबंध शासकीय गाईड लाईन के माध्यम से निर्धारित दर पर अनावेदक क्रमांक 2 के साथ किया है जो शासन द्वारा निर्धारित गाईड लाईन के मान से विक्रय मूल्य देने को तैयार है परिणामतः अपीलार्थी को स्वअर्जित एवं भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि विक्रय करने की अनुमति दिये जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन नजर नहीं आती किन्तु कलेक्टर जबलपुर ने इस पर गौर न करने में भूल की है।

9- उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील स्वीकार की जाकर कलेक्टर जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 245/अ-21/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 20.04.2015 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं अपीलार्थी को ग्राम खुरसी प.ह.न. 69 रा.नि.म. वरगी तहसील व जिला जबलपुर में स्थित भूमि खसरा नं. 85,87/1 रकवा क्रमशः 1.10, 1.42 कुल रकवा 2.52 है0 भूमि के विक्रय की अनुमति दी जाती है।

  
सदस्य

R  
15c